तार मिल जाने के कारण नरसोपन्त और धोंडोपन्त तैयारी में ही थे। दूसरे दिन सवेरे पुलिस ने छापा मारा। लोकमान्य तिलक के परिजनों को उन्होंने एक कमरे में बन्द कर रखा और चार घण्टों तक गायकवाड़-वाड़ा का चप्पा-चप्पा छान मारा। कागज के छोटे-छोटे टुकड़े भी उन्होंने पढ़ डाले।

ढाई घण्टे की तलाशी के बाद लोकमान्य तिलक की टेबल की खुली दराज में पुलिस को एक कार्ड मिला। उस पर दो ऐसी किताबों के नाम लिखे थे, जिनमें विस्फोटक पदार्थों की जानकारी दी हुई थी।

यह कागज बरामद होते ही इन्स्पेक्टर सलिवन खुशी के मारे उछल पड़े। केवल 'देश का दुर्भाग्य' शीर्षक से लेख लिखने के अपराध में तिलक को सजा मिलना मुश्किल है, यह सरकार भी जानती थी। इसीलिए उनकी गिरफ़्तारी को बमकाण्ड से जोड़ने की फिराक में सरकार थी। इस जोड़-तोड़ के लिए अब सरकार को छोटा-मोटा ही सही, एक सबूत मिल गया था। तिलक को 'काला पानी' सजा दिलाने के लिए अब यह पृष्ठभूमि पर्याप्त थी।

इसी क्रम में एक सम्पूरक लेख 9 जून के 'केसरी' में छपा था और 'केसरी' का यह अंक सरकार के पास पहुँच भी गया था। 'ये उपाय टिकाऊ नहीं हैं' शीर्षक से प्रकाशित इस लेख में बम का वर्णन बड़े ही चाव से किया गया था। उसे मन्त्र, जादू कहकर उसकी खूब तारीफ की गयी थी। उसमें यह भी लिखा गया था कि उसे बनाने के लिए कोई खास सामग्री नहीं लगती। लोकमान्य तिलक स्वयं इस तरह का लेख लिखकर अपनी गर्दन नहीं फँसा सकते थे। यह लेख लिखा था कृष्णाजीपन्त खाडिलकर ने।

यह लेख और बरामद कार्ड पर लिखे गये, किताबों के दो नाम—इनके आधार पर सरकार ने लोकमान्य तिलक पर एक और मुकदमा दायर कर दिया।

सवेरे गायकवाड़-वाड़ा की छान-बीन के बाद दोपहर को सिंहगढ़ स्थित बँगले पर पुलिस पहुँच गयी। उन्हें लगा था कि यहाँ बम बनाने की कुछ सामग्री अथवा एकाध दूसरा बम ही मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ कुछ भी तो उनके हाथ नहीं लगा।

तिलक की गिरफ़्तारी की खबर दूसरे ही दिन पूरे देश में फैल गयी। सभी लोग हैरान रह गये। उस दिन पुणे 'बन्द' रहा। बम्बई के कामगार भी काम पर नहीं गये। बंगाल और पंजाब प्रान्तों में स्थिति तनावपूर्ण रही। बल्कि अपेक्षया शान्त समझे जाने वाले दक्षिण भारत में भी क्षोभ और नाराजगी का माहौल रहा। सभी को लगने लगा कि वे अब बेसहारा हो गये हैं। उन्हें अपनी कमजोरी का तीव्र एहसास होने लगा।

उस दिन लोकमान्य तिलक की ओर से जस्टिस दावर के सुपुत्र बैरिस्टर दावर ने प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जमानत की अर्जी दी। लेकिन वह नामंजूर कर दी गयी।

इधर लोकमान्य तिलक के प्रभावी संगठन ने जोरदार प्रचार कार्य शुरू कर दिया। गली-मुहल्लों और चौक-चौबारों में सभाएँ आयोजित कर लोकमान्य तिलक के पक्ष को अत्यन्त प्रभावी तरीके से पेश किया गया। नशाबन्दी आन्दोलन के दौरान कामगार कालोनियों में चॉल-समितियाँ बनायी गयी थीं, उनमें फिर से जान भर दी गयी और ये समितियाँ लोकमान्य तिलक की ओर से प्रचार करने लगीं। मिलों के जॉबर इन समितियों के मुखिया थे और कामगारों में उनकी अच्छी धाक थी। उन्होंने कामगार कालोनियों में उत्तेजना फैलाकर स्थिति अत्यन्त विस्फोटक बना दी। तेली-पनवाड़ियों के नेताओं की ओर से बम्बई के जुझारू कामगार डटकर खड़े हो गये।

29 जून को जब बलवन्तराव को फिर से कठघरे में खड़ा किया गया तो न्यायालय के बाहर बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गयी। दूर-दूर तक केवल लोग-ही-लोग नजर आ रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे, नारे लगा रहे थे, मुट्ठियाँ भींचकर आवेग व्यक्त कर रहे थे, रेले में आगे बढ़ रहे थे, धक्का खाकर पीछे हट रहे थे, बीच-बीच में सैर-भैर दौड़-भाग भी कर रहे थे।

पुलिस वाले चेन बनाकर भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रहे थे, पीछे खदेड़ रहे थे। लेकिन भारी भीड़ के सामने पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी। सुरक्षा-व्यवस्था को तोड़कर लोग न्यायालय में घुसने लगे और कुछ ही देर में न्यायालय लोगों से खचाखच भर गया।

स्थिति नियन्त्रण से बाहर होती देखकर घुड़सवारों की टुकड़ी आगे आयी और खुँदलते हुए या खुँदलने का हौवा खड़ा करती हुई आतंक फैलाने लगी। इससे लोग और अधिक चिढ़ गये और वे पुलिस वालों पर ईंट-पत्थरों की वर्षा करने लगे।

पुलिस ने लाठी-चालन किया और कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी कर लिया। फिर भी उत्तेजित भीड़ का अर्राना और चीखना-चिल्लाना जारी रहा।

दोपहर तीन बजे लोकमान्य तिलक के मुकदमे का पुकारा हुआ। थोड़ी देर कामकाज चलने के बाद, मुकदमा सत्र-न्यायालय को सौंप दिया गया।

2 जुलाई को मोहम्मद अली जिन्ना ने लोकमान्य तिलक की ओर से सत्र-न्यायालय के न्यायाधीश दावर के सामने जमानत की अर्जी पेश की। 1897 में इन्हीं दावर महोदय ने लोकमान्य तिलक के वकील के रूप में उन्हें जमानत पर रिहा करवाया था। उस समय भी उन पर राजद्रोही होने का ही आरोप लगाया गया था। अब सरकार लोकमान्य तिलक को बम-काण्ड से जोड़ने का प्रयास कर रही थी जबकि उस समय उसने चाफेकर द्वारा की गयी हत्या से उन्हें जोड़ने का प्रयास किया था। लेकिन वकील